शहरी गरीबों को व्यवसाय के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा नगर निगम

बैंकों की तरफ से दो लाख तक का मिलेगा लोन

व्यक्तिगत ऋण देने को लेकर टास्क फोर्स कमेटी की बैठक

गिरिडीह. नगर निगम में बुधवार को दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत सेल्फ इंप्लायमेंट प्रोग्राम घटक के तहत व्यक्तिगत ऋण हेतु टास्क फोर्स कमेटी की बैठक हुई. डे एनयूएलएम योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को व्यवसाय के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकारी योजना पर चर्चा की गई. उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने बताया कि इस योजना के तहत व्यवसाय करने के लिए बैंकों द्वारा लाभुकों को अधिकतम दो लाख रुपये तक दिये जायेंगे. इसके एवज में लाभुकों द्वारा बैंकों को 7 प्रतिशत ब्याज दिया जाना है. शेष ब्याज सब्सिडी के रूप में सरकार की ओर से देय होगा. इस बारे में उन्होंने लाभुकों को विस्तार से जानकारी दी. बैंक ऑफ बड़ौदा के वरीय प्रबंधक पवन कुमार गुप्ता ने लाभुकों को बताया कि ऋण लेने के बाद समय पर ऋण चुकाना है. ससमय ऋण की अदायगी नहीं होने पर लाभुकों को भविष्य में किसी भी बैंक के द्वारा ऋण नहीं दिया जायेगा. बैठक में 61 आवेदन में से 52 लाभुकों के आवेदन पर समिति के द्वारा अनुशंसा की गयी. चार लाभुक अनुपस्थित रहे एवं पांच लाभुकों का आवेदन समिति के द्वारा रद्द कर दिया गया. बैठक में अर्बन प्लानर मंजूर आलम, नगर मिशन प्रबंधक प्रशांत कुमार, रूबी देवी, पिंकी देवी, इंद्रदेव कुमार समेत सभी वार्डों में प्रतिनियुक्त सामुदायिक साधनसेवी उपस्थित थे.

बैठक में उपस्थित उप नगर आयुक्त व अन्य.

Scanned with CamScanner

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार